

उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2,
संख्या-3/2023/345/94-स्टानो-2-2023-700(36)/2023
लखनऊ: दिनांक-31 मार्च, 2023

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनार्थ नई इकाई की स्थापना हेतु नीचे सारणी के स्तम्भ-4 में यथा दर्शित लिखत के सम्बन्ध में पूर्वोक्त नीति के प्रस्तर-12.2 के अनुसार स्तम्भ-3 में यथा दर्शित सीमा तक स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करती है:-

उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 का प्रस्तर	प्रयोजन	छूट की सीमा	लिखत की प्रकृति
1	2	3	4
12.2	बुन्देलखण्ड एवं पूर्वाञ्चल में स्टाम्प से छूट मध्यांचल एवं पश्चिमांचल (गौतमबुद्ध नगर तथा गाजियाबाद जिलों को छोड़ कर) में स्टाम्प शुल्क पर छूट।	100%	भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची-1(ख) के अनुच्छेद-23 के खण्ड-(क) के अधीन हस्तान्तरण की लिखत पर
	गौतमबुद्ध नगर तथा गाजियाबाद में स्टाम्प शुल्क पर छूट	75% 50%	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadेश.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

इस अधिसूचना के अधीन पूर्वालिखित छूट निम्नलिखित प्रतिबंधों/शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है-

- 1-जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त, उद्योग को हस्तान्तरण/पट्टा के लिखत की पुष्टि करनी होगी कि विलेख उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2022 के अधीन निष्पादित किया जा रहा है और उन्हें उक्त प्रयोजनार्थ साक्षी के रूप में भी हस्ताक्षर करना होगा।
- 2-किसी अन्य नीति के अधीन स्टाम्प शुल्क छूट की प्रसुविधा प्राप्त कर चुकी इकाई, इस नीति और अधिसूचना के अधीन स्टाम्प शुल्क माफी/छूट के लिए पात्र नहीं होगी।
- 3-अधिसूचित उपबंधों का क्रियान्वयन स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा जारी/विद्यमान प्रक्रियागत मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार किया जायेगा।
- 4- उपर्युक्त अधिसूचना में उल्लिखित उपबन्ध, नीति के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी शासनादेश के दिनांक से प्रभावी माने जायेंगे।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए-

"पूर्वाचल" में प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, गोरखपुर, अयोध्या तथा देवीपाटन राजस्व मण्डल सम्मिलित होंगे, "मध्यांचल" में लखनऊ एवं कानपुर राजस्व मण्डल सम्मिलित होंगे और "बुन्देलखण्ड" में चित्रकूट धाम एवं झांसी राजस्व मण्डल सम्मिलित होंगे। "पश्चिमांचल" में आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली और मेरठ (गौतमबुद्ध नगर तथा गाजियाबाद जिलों को छोड़ कर), राजस्व मण्डल सम्मिलित हैं।

आज्ञा से,

लीना जौहरी
प्रमुख सचिव।

संख्या: 3/2023/345/94-स्टाम्पनी0-2-2023-700(36)/2023, दिनांक: 31 मार्च, 2023

हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक 31 मार्च, 2023 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड(ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात् गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त स्टाम्प, 30प्र० लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

रवीश गुप्ता
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या: 3/2023/345/94-स्टानिको-2-2023-700(36)/2023, दिनांक: 31 मार्च, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, ३०प्र० शासन।
- 3- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त।
- 4- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, ३०प्र० शासन।
- 5- अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रो० विभाग, ३०प्र० शासन।
- 6- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, ३०प्र० कानपुर।
- 7- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, ३०प्र० लखनऊ।
- 8- समस्त मण्डलायुक्त, ३०प्र०।
- 9- महानिरीक्षक निबंधन, ३०प्र०।
- 10-समस्त जिलाधिकारी, ३०प्र०।
- 11-समस्त अपर जिलाधिकारी, (वि०/रा०) पदेन जिला निबंधक, ३०प्र०।
- 12-समस्त संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त उद्योग, ३०प्र०।
- 13-समस्त उप महानिरीक्षक निबंधन, ३०प्र०।
- 14-समस्त सहायक महानिरीक्षक निबंधन/जनपदीय उपायुक्त उद्योग, ३०प्र०।
- 15-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कुलदीप सिंह
अनु सचिव,
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadep.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM REGISTRATION ANUBHAG-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 3/2023/345/94-S.R.-2-2023-700(36)/2023 dated 31 March, 2023

Notification

Order

No. 3/2023/345/94-S.R.-2-2023-700(36)/2023

Lucknow, dated 31 March, 2023

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time, in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor, is pleased to remit the Stamp Duty, for establishing new unit under the Uttar Pradesh Industrial Investment and Employment Promotion Policy, 2022, in accordance with the Para 12.2 of the aforesaid Policy, for the purposes specified therein, to the limit as mentioned in column 3 of the table below in relation to the Instrument as shown in column 4—

Para of UP Industrial Investment and Employment Promotion Policy ,2022	Purpose	Exemption Limit	Nature of Instrument
			1
12.2	Stamp duty exemption in Bundelkhand and Purvanchal Exemption on stamp duty in Madhyanchal and Paschimanchal (except Gautam Budh Nagar and Ghaziabad districts). Stamp duty exemption in Gautam Buddha Nagar and Ghaziabad	100% 75% 50%	On the instrument of conveyance under Clause (a) of Article 23 of Schedule 1(b) of the Indian Stamp Act, 1899

The aforementioned exemption under this notification is subject to the following prohibitions /conditions:

1-The District Magistrate/Deputy Commissioner of Industries shall confirm in the Instrument of conveyance/ Lease that the deed is being executed under the **Uttar**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

Pradesh Industrial Investment and Employment Promotion Policy, 2022 and also signs as a witness for the said purpose.

2-The unit which has obtained the benefit of stamp duty exemption under any other policy shall not be eligible for a stamp duty remittance/ exemption under this policy and notification.

3-The implementation of the notified provisions shall be done according to the extant procedural guidelines issued by the Stamp and Registration Department.

4-The provisions mentioned in the above notification will be considered effective from the date of the Government order issued by the Administrative Department (I.I.D.D.) regarding the implementation of the policy.

Explanation- For the purpose of this notification.-

"**Purvanchal**" shall include the revenue divisions of Prayagraj, Varanasi, Mirzapur, Azamgarh, Basti Gorakhpur, Ayodhya and Devipatan. "**Madhyanchal**" shall include the revenue divisions of Lucknow and Kanpur and the "**Bundelkhand**" shall include the revenue divisions of Chitrakoot Dham and Jhansi. The revenue divisions of Agra, Aligarh, Moradabad, Saharanpur, Bareily & Meerut (except Gautam Budh Nagar and Ghaziabad districts) are included in "**Pashimanchal**"

By order,

**Leena Johri
Principal Secretary**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।